



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 (चैत्र 1, 1945)

समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 3-11/आठ-परि./2022, दिनांक 25 अगस्त, 2022 पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड डोंगरगढ़ के गातापार एनीकट निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात् भी निविदा प्रक्रिया नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, छुईखदान-उदयपुर-दनिया रोड की जमीन अधिग्रहण से प्रभावितों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (3) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, सदस्य, रायपुर जिले में संचालित एवं स्वीकृत छात्रगृह आवास योजना का किराया लंबित होने के संबंध में आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

- (2) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (4) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

30 मिनट (5)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (6)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (7)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (8)

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (9)

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

निर्धारित समय

30 मिनट (10) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (11) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (12) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

रायपुर,  
दिनांक 21 मार्च, 2023

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा